

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची -834002

अधिसूचना

संचिका संख्या- DHESec2/Minority College-1/2019 - 10 राँची, दिनांक :- 17/11/2020

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा-12 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत नामित किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|---------------|---|------------------------|
| (क) | उच्च शिक्षा | - | निदेशक उच्च शिक्षा। |
| (ख) | तकनीकी शिक्षा | - | निदेशक, तकनीकी शिक्षा। |

02. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
03. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-DHESec2/Minority College-1/2019-1277 राँची, दिनांक :- 17/11/2020

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-DHESec2/Minority College-1/2019-1277 राँची, दिनांक :- 17/11/2020

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-DHESec2/Minority College-1/2019-1277 राँची, दिनांक :- 17/11/2020

प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-DHESec2/Minority College-1/2019-1277 राँची, दिनांक :- 17/11/2020

प्रतिलिपि:-सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, झारखंड/सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली एवं संबन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मचारीगण, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।